

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-बरदहहत्या के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को शरण देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.07.2021 प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र, उ०नि० माखन सिंह मय हमराह हे०का० योगेन्द्र यादव का० अनुपम सिंह के साथ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन मे मसरुफ थे की जरिये मुखविर के सूचना मिली की ग्राम वौवापार मे हुये हत्या मे अभियुक्तगण को सरण देने वाला व्यक्ति सरायमोहन मोड पर मौजूद है उक्त सूचना पर प्र०नि० मय फोर्स के मौके पर पहुचे तो एक व्यक्ति वहा खडा मिला उससे उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम स्वरिष्ठ प्रताप सिंह उर्फ विक्की पुत्र बलवन्त सिंह ग्राम हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ बताया जिसकी मौके पर तलाशी से उसके पास से 02 अदद मोबाइल क्रमशः रेडमी ब्लैक कलर व मोबाइल सैमसंग काला नीला कलर चिटबंदी व एक अदद मोटर सायकिल न० UP50BU9893 TVS Radeon बरामद हुआ। अभि० को थाना स्थानी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 141/2021 धारा 147/148/149/457/307/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट मे नामजद अभि० को सरण देने पर समय 22.10 बजे सरायमोहन मोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 145/21 धारा 216 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

स्वरिष्ठ प्रताप सिंह उर्फ विक्की पुत्र बलवन्त सिंह ग्राम हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी

02 अदद मोबईल फोन , 01 अदद मो०सा० UP50BU9893 TVS Radeon चेचिस नम्बर MD625HF10K1E04384 एवं इंजन नम्बर KF1EK1604604

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र उ०नि० माखन सिंह मय हमराह हे०का० योगेन्द्र यादव का० अनुपम सिंह

थाना तरवांसंध लगाकर चोरी करते तीन गिरफ्तार

दिनांक 09.07.2021 को थाना स्थानीय के कस्बा कंचनपुर में वादी मुकदमा श्री सूर्यभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्या निवासी ग्राम जमुवां पो० हडौरा थाना तरवा जनपद आजमगढ के कपड़े की दुकान में पीछे से दीवाल में संध लगाकर चोरी करते समय अभियुक्तगण 1. नोखे पुत्र गंगा राम 2. कैलाश पुत्र तेजराम 3. विजेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासीगण मिल्किया थाना निगोही जिला शाहजहांपुर को जनता के द्वारा पकड़ा गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 101/21 धारा 380/511/323/336 IPC पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० ओमप्रकाश नरायण सिंह द्वारा प्रचलित है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

## पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 101/21 धारा 380/511/323/336 IPC थाना तरवां जनपद आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. नोखे पुत्र गंगा राम
2. कैलाश पुत्र तेजराम
3. विजेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासीगण मिल्किया थाना निगोही जिला शाहजहांपुर

## थाना-जीयनपुर

### दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अ पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय हमराह का0 श्रेष्ठ कुमार यादव, का0 शुभम यादव द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु राइसमिल चौराहे के पास मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि मु0अ0सं0 119/2021 धारा 307/304 भा0द0वि0 व मु0अ0 सं0 120/21 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471/473 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) मनीष यादव पुत्र गिरजाशंकर यादव उर्फ दरोगा साकिन बसारतपुर (मडैया) थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ (2) पंकज यादव पुत्र जयनाथ यादव साकिन बसारतपुर (मडैया) थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ दोनों भुवना बुजुर्ग चट्टी पर कहीं जाने हेतु सवारी का इन्तजार कर रहे हैं। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के साथ भुवना बुजुर्ग चट्टी के पास पहुंचकर देखा कि वहां दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते दिखाई दिये जैसे ही पुलिस बल उक्त दोनों व्यक्ति के तरफ बढ़ी तो पुलिस बल को अचानक देखकर हटबड़ा कर भागना चाहे कि पुलिस बल द्वारा सिखलाये हुये तरीके से हिकमत अमली से भागने का मौका दिये बिना एक बारगी घर कर पकड़ लिए गये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम क्रमशः 1. मनीष यादव पुत्र गिरजाशंकर यादव उर्फ दरोगा साकिन बसारतपुर (मडैया) थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ 2. पंकज यादव पुत्र जयनाथ यादव साकिन बसारतपुर (मडैया) थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ बताये। गिरफ्तार अभियुक्तगण को उनके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1- मनीष यादव पुत्र गिरजाशंकर यादव उर्फ दरोगा साकिन बसारतपुर (मडैया) थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
- 2- पंकज यादव पुत्र जयनाथ यादव साकिन बसारतपुर (मडैया) थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

### सम्बन्धित अभियोग

- 1 मु0अ0सं0 119/2021 धारा 307/304 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0 अ0 सं0 120/21 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471/473 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 श्रेष्ठ कुमार यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

### 3. का0 शुभम यादव व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।\*

18 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की